फर्द अहकाम

नारायण बनाम सरकार

यालय

या 143/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/6/24	वकील प्रार्थी ने प्रकरण [illegible] धारा 111, 128 [illegible] प्रार्थी को प्रार्थ[illegible] पर [illegible] प्रार्थी को कोर्ट [illegible] पेश प्रार्थना स्वीकार किया जाता है [illegible] प्रकार से लिखवाया जाकर [illegible] शामिल पत्रावली किया जाए पत्रावली [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर की जाए तामील [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 143/2024
निर्णय दिनांक :06.06.2024

1 नारायण पुत्र चन्दा
2 कल्याण पुत्र चंदा
3 गोरधन पुत्र चन्दा
4 जगदीश पुत्र चन्दा
5 ज्ञानचन्द पुत्र चन्दा

समस्त जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2 फुलचन्द पुत्र स्व० श्री सूजा जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत विधिवत बटवारां के साथ सलंग्न नक्शाट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 96 रकबा 1.74 है०, खसरा न० 98 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 113 रकबा 0.13 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.54 है० मे स्थित है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण तथा 1/2 हिस्सा अप्राथी संख्या दो का राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त भूमि का बटवारा हो चुका है तथा बटवारे के अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा न० 98 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 113 रकबा 0.73 है०, खसरा न0 96 मिन रकबा 0.5250 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.3250 है० आयी तथा इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या दो के हिस्से मे खसरा न० 96 मिन रकबा 1.2150 है० जो अप्रार्थी संख्या दो के हिस्से में आयी। उक्त विधिवत बटवारां के साथ नक्शाट्रेस मे जो तरमीम की गई उसके अनुसार वर्तमान नक्शाट्रेस मे तरमीम सही प्रकार से नहीं की गई। इस प्रकार बटवारा के साथ सलग्न नक्शे के अनुसार हाल नक्शाट्रेस में तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्राथीगण ने उक्त दुरूस्ती करने बाबत अप्राथी संख्या एक तहसीलदार सांगानेर के यहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी को कहा उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए आपको सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था। इस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र गय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खसरा न0 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 113 रकबा 0.73 है०, खसरा न० 96 मिन रकबा 0.5250 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3250 है० व खसरा न० 96 मिन रकबा 1.2150 है० वाके रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर की विधिवत वटवारां के सलंग्न नक्शाट्रेस के अनुसार की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शाट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की पत्रावली में वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया।

वहस प्रार्थीगण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीगण की ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा न0 98 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 113 रकबा 0.73 है०, खसरा न० 96 मिन रकबा 0.5250 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.3250 है० व खसरा न० 96 मिन रकबा 1.2150 है० का विधिवत वटवारां के साथ सलंग्न नक्शाट्रेस के अनुसार की गई तरमीम के अनुसार हाल नक्शाट्रेस मे तरमीम कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested